न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 51/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/45
दायर दिनांक :– 11.03.2024 निर्णय दिनांक :– 25.02.2025

1. पूनाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. देदाराम पुत्र लालराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लालाराम पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. गुमानाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. गैनाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. केसू पुत्री लालाराम पत्नी मेराराम जाति जाट निवासी पूनासर तह. बापिणी जिला फलोदी
5. पानी पुत्री लालाराम पत्नी प्रेमाराम जाति जाट निवासी पूनासार तह. बापिणी जिला फलोदी
6. सन्तू पुत्री लालाराम पत्नी लक्ष्मणराम जाति जाट नि. पूनासर तह. बापिणी जिला फलोदी
7. मोहनी पत्नी लालाराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. ओमाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. गंगाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
12. मगाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
13. मनोहरी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
14. पुरखाराम पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
15. ग्राम पंचायत नारायणपुरा जरिये ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति घंटियाली

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है प्रार्थीगण के वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टाया साबित है, और प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है।

25/2/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तत्कालीन मूल ग्राम चाखू तहसील फलोदी नवसृजित ग्राम नारायणपुरा तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 547/2 रकबा 11.7359 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 9.9310 हैक्टेयर व नवसृजित ग्राम कलाथल तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 459 रकबा 15.0138 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की पैतृक संयुक्त खातेदारी अधिकारों की आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त कब्जा काश्त बहिस्सा बराबर चला आ रहा है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य है और हिन्दु विधि से शासित होते है। वादग्रस्त भूमि भू–प्रबन्ध से पूर्व प्रार्थीगण के परदादा राजूराम पुत्र गैराराम के कब्जा काश्त में थी, प्रार्थीगण के परदादा राजूराम व दादा छोगाराम का सम्वत 2010 में देहान्त हो जोन पर प्रार्थीगण के पिता लालाराम व अन्य के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज अभिलेख हुई। वादग्रस्त भूमि नारायणपुरा खसरा नम्बर 547/2 रकबा 11.7359 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 9.9310 हैक्टेयर कदिमी पैतृक काश्त भूमि प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा तथा कलाथल में स्थित खसरा नम्बर 459 रकबा 15.0138 हैक्टेयर कदिमी पैतृक काश्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा पैतृक खातेदारी अधिकारों का है, वादग्रस्त भूमि पीढी दर पीढी कदिमी पैतृक काश्त भूमि होने से उसमें हिन्दू विधि अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को जन्म से ही हक हकूक बहिस्सा बराबर प्राप्त है। प्रार्थीगण इसी कदिमी पैतृक संयुक्त खतेदारी अधिकारों के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन किसी भी सूरत में सम्भव नहीं हो पायेगा इसलिए प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिस से यह स्पष्ट हो सके कि वादग्रस्त पैतृक सम्पति है। रेकर्डेड खातेदारों के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित नहीं है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलेक्टर

—आदेश—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नही होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)